



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1154/2026/362/22-2-2026-17(1442)/2023
लखनऊ: दिनांक: 01 सितम्बर, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर 2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत महिला दिवस, 2026 (08 मार्च, 2026) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरसिंह पाल (कैदी संख्या-16068) पुत्र श्री बुद्ध सिंह, निवासी रतिभानपुर, थाना-सिकन्दाराऊ, जनपद-हाथरस, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-625/2005 में धारा-302 आई.पी.सी के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-द्वितीय, हाथरस के आदेश दिनांक 18.04.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 24.09.2015 एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 26.11.2019 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.03.2026 तक अपरिहार 17 वर्ष, 02 माह, 05 दिन एवं सपरिहार 20 वर्ष, 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण सन्तोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रुपये 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1154/2026/362(1)/22-2-2026 एवं तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस।
- 3- पुलिस अधीक्षक, हाथरस।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
- 5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ
- 6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।